न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 04/2024
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 03.06.2024
निर्णय दिनांक: 28.04.2026

अनवान

1. गीता जाट पुत्री रतनलाल पत्नि रतनलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी दामोदरपुरा हाल निवासी रामपुरीया (अरनिया) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

अपीलान्ट

बनाम

1. गाम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) जरिये संरपच बामनिया खुर्द पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द ।
2. रोशनलाल पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा हाल नोकरी तहसील कार्यालय रेलमगरा जिला राजसमंद
3. मोहनबाई पत्नि स्व रतनलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 भु–राजस्व अधिनियम, 1956 के विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 07.06.1989 ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा विरासत का नामान्तकरण निर्णित किया जिसके विरुद्ध।

अपीलांट अधिवक्ता– लादुलाल जाट
रेस्पोडेंटगण अधिवक्ता– रमेशचन्द्र अहीर

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दामोदरपुरा पटवार हल्का खडबामणिया तहसील क्षेत्र रेलमगरा में अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की कृर्षि भूमियां स्थित है जिसका नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 07.06. 1989 को ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा पारित आदेश विधि, न्याय, नियम एंव नामानतकरण संख्या 143 दिनांक 07.00.1988 गाम पंचायत बामनिया खुर्द द्वारा विरासत का नामानाकरण निर्णित जिसके विरुद्व वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है इसलिये यह अपील आप न्यायालय में पेश है यह कि ग्राम दामोदरपुरा पटवार हल्का खडबामणिया तहसील क्षेत्र रेलमगरा में आराजी संख्या 537, 285, 289, 290, 299, 300, 314, 328, 449, 451, 466, 538, 256, 317, अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की कृर्षि भूमियां स्थित है विरासत का नामान्तकरण निर्णित जिसके विरुद्व यह अपील प्रस्तुत है। यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 का वंश वृक्ष निम्न अनुसार है–

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रतनलाल

|

रोशनलाल (पुत्र)	गीता (पुत्री)	मोहन बाई (पत्नि)

यह कि मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट के प्रथम अनुसुची में जायन्दा वारिसान एक पुत्र रोशनलाल एंव एक पुत्री गीता और पत्नि मोहन बाई है। यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट का विरासतीय नामान्तकरण बाबत् कार्यवाही करते समय पंचायत को पुर्ण जानकारी थी की मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट के जायन्दा एक पुत्र रोशनलाल एंव एक पुत्री गीता और पत्नि मोहन बाई है परन्तु उसके पश्चात् भी तत्कालिन संरपच व पटवारी हल्का द्वारा जानबुझकर द्वेषतावश अपीलान्ट व रेस्पोरेन्ट संख्या 3 का नाम विरासतीय इन्तकाल में नही भर अपीलाण्ट की बिना जानकारी के दिनांक 07.06.1989 को नामान्तकरण संख्या 143 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 रोशनलाल के नाम पर निर्णित किया जो वैधानिक प्रावधानो का स्पष्ट रुप से उल्लंघन होने सेविरासत का नामान्तकरण निर्णित जिसके विरुद्ध अधिनस्थ ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्त ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा विरासत नामान्तरकरण में अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नही देते हुऐ मन मकसूद तरिके से नामान्तकरण आदेश दिनांक 07.06.1989 में अपीलाण्ट व रेस्पोरेन्ट का नाम दर्ज नहीं कर जो विधि एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के पिता के विरासत की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट जानकारी थी की मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट के जायन्दा पुत्री गीता व पत्नि मोहन बाई भी है फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को समुचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से अपीलाण्ट व रेस्पोरेन्ट संख्या 3 का नाम इन्तकाल में नही भर हटा दिया जो विधि एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा अपीलाण्ट के पिता के विरासत की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट जानकारी थी की मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट के अपीलाण्ट जायन्दा पुत्री गीता व पत्नि मोहन बाई भी है फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम पर नामान्तकरण निर्णित किया गया हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम में पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान पुत्रियों का भी समान अधिकार प्राप्त है जिससे भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है। यह कि अपीलान्ट को अपने पिता से विरासत में मिली भुमियों पर निरन्तर काबिज होकर वर्तमान में भी काश्त कर रहे है अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम पर गलत तरिके से नामान्तकरण निर्णित कर देने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अन्य व्यक्तियो को वादग्रस्त भुमिया अन्तरित करने पर उतारु है अगर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के द्वारा अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने पर सफल हो गया तो अपीलान्ट अपना वैध्य हक, अधिकार से वचिंत हो जायेगी ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत है अपीलान्ट, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के नामानन्तकरण सख्या 143 दिनांक 07.06.1989 गाम पंचायत

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बामनिया खुर्द द्वारा विरासत का नामान्तकरण निर्णित जिसके विरुद्ध नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है इस हेतु यह अपील प्रस्तुत है। यह कि अपीलान्ट की अपील हेतु दिनांक 24.04.2024 को अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की बात सुनी एवं अपीलान्ट ने वादग्रस्त भुमियो की नकल व नामान्तकरण दिनांक 24.04.2024 को तहसील कार्यालय से निकवायी तब उक्त गलत नामान्तकरण की प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को होने पर उक्त अपील जानकारी की दिंनाक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है किसी कानुनी आपति के लिये अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को होने से यह अपील न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यह कि अन्य आधार वक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

अतः श्री प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट विरुद्ध रेस्पोरेडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बामनिया खुर्द (खडबामणिया) द्वारा दिनांक 07.06.1989 को नामान्तकरण संख्या 143 को अपास्त फरमाया जाकर मृतक रतनलाल पिता उदयराम जी जाट के जायन्दा वारिसान अपीलाण्ट पुत्री गीता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 पुत्र, रोशनलाल, एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 3 पत्नि मोहन बाई का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेटगण संख्या 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेटगण संख्या 02,व 03 की और से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपील के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 75 के तहत् नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 07/06/1989 ग्राम पंचायत बामणियाखूर्द (खडबामणियां) द्वारा निर्णित के विरूद्ध अपील बाबत श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 07/06/1989 के विरूद्ध अपील के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ड संख्या 02 की ओर से श्रीमान आप के न्यायालय में विचाराधीन अपील में बिन्दुवार जवाब निम्नांकित अनुसार श्रीमान आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है कि अपील के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तथ्य यथाः नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 07/06/1989 ग्राम पंचायत बामणियाखूर्द (खडबामणियां) द्वारा निर्णित में वर्णित कृषि भुमियां जो कि ग्राम दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा में अवस्थित होकर, रेस्पोडेण्ट सं02 अपनें पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु होनें के पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात् से ही रेस्पोडेण्ट सं02 के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर रेस्पोडेण्ट सं02 आदिनांक तक निरन्तर कास्त करता आ रहा हैं, जिसको करीबन 40 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। रेस्पोडेण्ट सं02 के पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हुई हैं एवं ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02-03 वर्ष तक की समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा पुर्णतः विधिवतरूप से निरन्तर सुनवायी की जाकर एवं जांच की जाकर, तथा परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी ली जाकर एवं सहमति लिए जानें के पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 143 को दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किया गया हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के कालम संख्या 01 में उक्त नामान्तरणकरण के निर्णय के अलावा अन्य समस्त तथ्य काल्पनिक एवं मनगढंत रूप से अपनें स्वयं के निजी हित के तहत् अन्य दिगर व्यक्तियों को भुमियां विक्रय किए जानें के उद्धेश्य से अंकित किए गए हैं जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होकर, अस्वीकार हैं। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेण्ट सं02 द्वारा अपने पिताजी की मृत्यु

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दिनांक 24/08/1986 को हो जानें के एक माह की समयावधि में ग्राम पंचायत में अपने कब्जेकाश्तशुदा कृषि भुमियों का विरासत का नामान्तरणकरण दर्ज कराए जानें बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, रेस्पोडेण्ट सं02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर, ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02–03 वर्ष तक की इतनी लम्बी समयावधि में पुर्णतः विधिअनुरूप जांच कर, सुनवायी करके, परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त होनें के पश्चात् ही, नामान्तरकरण संख्या 143 जो कि दिनांक 07/06/1989 को स्वीकृत किया गया हैं, जो पुर्णतः सही एवं नियमों व विधिअनुरूप निर्णित हुआ हैं, जो स्वीकार योग्य तथ्य हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 143 जो कि दिनांक 07/06/1989 को स्वीकृती के अलावा अन्य समस्त प्रकार के तथ्य अस्वीकार होकर खरिज योग्य हैं। श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि अपील के बिन्दु संख्या 01 में नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/1989 के अलावा अन्य समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित तथ्य यथाः कृषि भूमी आराजी नम्बर 537 रकबा 0–1376 हेक्टर नाली रेस्पोडेण्ट सं0 02 के स्वामित्व,कब्जे काश्तशुदा कृषि भुमियां, होना अपीलाण्ट स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया हैं, यह तथ्य सही होकर स्वीकार योग्य हैं। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 03 में वर्णित तथ्य यथाः कृषि भूमी आराजी नम्बर 285 रकबा 0–2104 हेक्टर बंझड, आराजी नम्बर 289 रकबा 0–0971 हेक्टर बंझड, आराजी नम्बर 290 रकबा 0–2752 हेक्टर बंझड, आराजी नम्बर 299 रकबा 0–1781 हेक्टर चाही,बीड, आराजी नम्बर 300 रकबा 0–1942 हेक्टर चाही, आराजी नम्बर 314 रकबा 0–9227 हेक्टर चाही, आराजी नम्बर 328 रकबा 0–0405 हेक्टर बंझड, आराजी नम्बर 449 रकबा 0–5747 हेक्टर बंझड, आराजी नम्बर 451 रकबा 01–9425 हेक्टर बारानी, आराजी नम्बर 466 रकबा 0–3966 हेक्टर बारानी, आराजी नम्बर 538 रकबा 01–7159 हेक्टर बारानी सहित कुलिया किता 11 रकबा 06–8479 हेक्टर कृषि भुमियां रेस्पोडेण्ट सं0 02 के स्वामित्व, पुर्णतःकब्जे काश्तशुदा कृषि भुमियां, होना अपीलाण्ट स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया हैं, जिसमें मुझ रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा ही उक्त भुमियों को कृषियोग्य बनाने के लिए समतलीकरण व उपजाउ बनानें के लिए खर्चा किया गया हैं एवं पिताश्री के जिवित समय से ही कब्जा होकर निरन्तर काश्त की जा रही हैं। यह तथ्य सही होकर स्वीकार योग्य हैं। चुंकि ग्राम दामोदरपुरा की आराजी नम्बर 451 रकबा 01–9425 हेक्टर बारानी, एवं आराजी नम्बर 466 रकबा 0–3966 हेक्टर बारानी, जो कि दोनों आराजीयात विगत समय में अन्य काश्तकार केशूलाल पंचोली वगैराह एवं हजारीलाल नाई वगैराह के क्रय की गयी हैं। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 04 में वर्णित तथ्य यथाः कृषि भूमी आराजी नम्बर 256 रकबा 0–0405 हेक्टर आ0चा0, आराजी नम्बर 317 रकबा 0–0486 हेक्टर आ0चा0 सहित कुलिया भुमी किता 02 रकबा 0–0891 हेक्टर भुमि रेस्पोडेण्ट सं0 02 के स्वामित्व,कब्जे काश्तशुदा कृषि भुमियां, होना अपीलाण्ट स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया हैं, यह तथ्य सही होकर स्वीकार योग्य हैं। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 05 में वर्णित तथ्य यथाः स्व0 रतनलालजी जाट के वारिशान सजरा प्रकट बताया गया हैं, जिसको अपीलाण्ट स्वयं द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं, यह तथ्य सही होकर स्वीकार योग्य हैं। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 06 में वर्णित तथ्य यथाः स्व0 रतनलालजी जाट के वारिशान का विवरण प्रकट बताया गया हैं, जिसको अपीलाण्ट स्वयं द्वारा भी स्वीकार किया हैं, यह

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तथ्य सही होकर स्वीकार योग्य हैं। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 07 में वर्णित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से प्रार्थना हैं कि स्व0 रतनलालजी जाट की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हो जानें के पश्चात् ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा नामान्तरकरण संख्या 143 को 02—03 वर्ष पश्चात् दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किए जानें में, अपीलाण्ट का अपना स्वयं का नाम सम्मिलित नहीं किए जानें की सहमति स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपना स्वयं का हक छोडते हुए प्रतिवादी यानी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम उपरोक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं करना स्वीकार किया गया हैं। इससे यह जाहिर हैं कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के प्रति गंभीर व्यक्तिशः द्वेशता रखीजाती हैं, इसके कारण श्रीमान आप न्यायालय का कीमती समय नष्ट करनें की अभिमंशा से ही श्रीमान आप न्यायालय में कुटरचित अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हें कि नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/1989 के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील में बिन्दु सं0 7 में अंकित अन्य समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील खारिज फरमायी जावे। ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02—03 वर्ष तक की इतनी लम्बी समयावधि में पुर्णतः विधिअनुरूप जांच कर, सुनवायी करके, परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त होनें के पश्चात् ही, नामान्तरकरण संख्या 143 जो कि दिनांक 07/06/1989 को स्वीकृत किया गया हैं, जो पुर्णतः सही एवं नियमों व विधिअनुरूप निर्णित हुआ हैं, जो स्वीकार योग्य तथ्य हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 143 जो कि दिनांक 07/06/1989 को स्वीकृती के अलावा अन्य समस्त प्रकार के तथ्य अस्वीकार होकर खरिज योग्य हैं। श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि अपील के बिन्दु संख्या 07 में नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/1989 के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील में बिन्दु सं0 7 में अंकित समस्त विवरण काल्पनिक होकर, मनगढंत एवं अपनें निजी हित तथा अन्य दिगर व्यक्तियों को भुमि विकय किए जानें के उद्धेश्य से तथ्य अंकित किए गए हें, तथा अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर नामान्तरकरण संख्या 143 को 02—03 वर्ष पश्चात् दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किए जानें में, अपीलाण्ट का अपना स्वयं का नाम सम्मिलित नहीं किए जानें की सहमति स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपना स्वयं का हक छोडते हुए प्रतिवादी यानी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम उपरोक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं स्वीकार करते हुए, श्रीमान आप न्यायालय का किमती समय बर्बाद किए जानें का कुटरचित व दुषित प्रयास किया गया हैं। अतः श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हें कि नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/1989 के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील में बिन्दु सं0 7 में अंकित अन्य समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील खारिज फरमायी जावे। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 08 में वर्णित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से प्रार्थना हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिताजी स्व0 रतनलालजी जाट की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को होनें के बाद, एक माह की समयावधि में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत में अपने स्वामित्व व कब्जे काश्तशुदा कृषि भुमियों का विरासत का नामान्तरणकरण दर्ज कराए जानें बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, रेस्पोडेण्ट सं02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर, ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02—03 वर्ष तक की इतनी लम्बी समयावधि में पुर्णतः विधिअनुरूप जांच कर, सुनवायी करके, परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त होनें के पश्चात् ही, नामान्तरकरण संख्या 143 जो कि दिनांक

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

07/06/1989 को स्वीकृत किया गया हैं, जो पुर्णतः सही एवं नियमों व विधिअनुरूप निर्णित हुआ हैं। अतः श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना है, कि नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/ 1989 के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील में बिन्दु सं0 7 में अंकित अन्य समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील खारिज फरमायी जावे। यह कि अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 09 में वर्णित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से प्रार्थना हैं कि स्व0 रतनलालजी जाट की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हो जानें के पश्चात् ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा नामान्तरकरण संख्या 143 को 02–03 वर्ष पश्चात् दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किए जानें में, अपीलाण्ट का अपना स्वयं का नाम सम्मिलित नहीं किए जानें की सहमति स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपना स्वयं का हक छोडते हुए प्रतिवादी यानी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम उपरोक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं करना स्वीकार किया गया हैं। इससे यह जाहिर हैं कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के प्रति गंभीर व्यक्तिशः द्वेशता रखी जाती हैं, इसके कारण श्रीमान आप न्यायालय का कीमती समय नष्ट करनें की अभिमंशा से ही श्रीमान आप न्यायालय में कुटरचित अपील प्रस्तुत की गयी हें। इस बिन्दु के अलावा भी अपीलाण्ट द्वारा अपील के बिन्दु सं0 7 में भी उक्तप्रकार के कूटरचित तथ्य अंकित कर अपील करना तथा अपीलाण्ट का अपना स्वयं का नाम सम्मिलित नहीं किए जानें की सहमति स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपना स्वयं का हक छोडते हुए प्रतिवादी यानी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम उपरोक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं करना स्वीकार किया गया हैं। अतः श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हें कि नामान्तरकरण संख्या 143 निर्णित दिनांक 07/06/1989 के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील में बिन्दु सं0 9 में अंकित अन्य समस्त प्रकार के तथ्य कतई स्वीकार योग्य नही हैं तथा अपील बिन्दु संख्या 09 में अंकित समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील अपिलाण्ट खारिज फरमायी जावे। यह कि अपील के बिन्दु संख्या 10 में वर्णित अंकित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 07/06/1989 ग्राम पंचायत बामणियाखूर्द (खडबामणियां) द्वारा निर्णित में वर्णित कृषि भुमियां जो कि ग्राम दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा में अवस्थित होकर, रेस्पोडेण्ट सं02 के पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु होनें के पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात् से ही रेस्पोडेण्ट सं02 के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर रेस्पोडेण्ट सं02 आदिनांक तक निरन्तर कास्त करता आ रहा हैं, जिसको करीबन 40 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। रेस्पोडेण्ट सं02 के पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हुई हैं एवं ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02–03 वर्ष तक की समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा पुर्णतः विधिवतरूप से निरन्तर सुनवायी की जाकर एवं जांच की जाकर, तथा परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी ली जाकर एवं सहमति लिए जानें के पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 143 को दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किया गया हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के कालम संख्या 07 एवं 09 में स्व0 रतनलालजी जाट की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हो जानें के पश्चात् ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा नामान्तरकरण संख्या 143 को 02–03 वर्ष पश्चात् दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किए जानें में, अपीलाण्ट का अपना स्वयं का नाम सम्मिलित नहीं किए जानें की सहमति स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपना स्वयं का हक छोडते हुए प्रतिवादी यानी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम उपरोक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं करना स्वीकार किया गया हैं। रेस्पोडेण्ट संचया 02 के द्वारा अपनें पिताजी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

स्व0रतनलालजी की मृत्यु से पुर्व पारिवारिक समझौता की आज्ञानुसार अपीलाण्ट के लिए ससुराल में ससुर की भुमियों के अलावा अन्य कृषि भुमियां अन्य से लेकर दी गयी एवं रक्षाबन्धन व अन्य त्यौहारों तथा ससुराल में गमी होनें पर सामाजिक रितीरिवाज अनुसार कपडे या अन्य प्रकार की व भारी मात्रा में रूपयों की सहायता दी गयी हैं तथा बच्चों की शादी में सामाजिक रितिरिवाज अनुसार मायरा भरा गया जिसमें सोनें एवं चांदी के आभुषण अपिलाण्ट व उनके पति एवं बच्चों के लिए समाज के पंचों के सम्मुख दिए गए तथा लाखों रूपये नगद राशि भी मायरे में समाज के प्रमुखों के सम्मुख दी गयी हैं इसके अलावा ससुर की मृत्यु के समय सामाजिक पगडी दस्तुर कार्यक्रम में लाखों रूपये की आर्थिक सहायता एव अपिलाण्ट व पति रतनलालजी व बच्चों व बच्चों की पत्नि व पोत्रों सभी के कपडे सामाजिक रितिरिवाज अनुसार किए गए, जिसपर भी भारी खर्चा किया गया हैं। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु से पुर्व पारिवारिक समझौता जिसमें अपिलाण्ट के हिस्से की भुमि के बदले में किए गए समझौते व अपिलाण्ट की सहमति पर, पिताजी की आज्ञानुसार आदिनांक तक सभी कार्य रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा सम्पादित किए जा रहें हैं एवं अन्य कार्यवाहियां जो सामाजिक रितिरिवाज अनुसार करनी होती हैं वह समस्त प्रकार का कार्य सामाजिक रितिरिवाज अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा बिना संकोच बिना किसी रूकावत के आदिनांक तक निरन्तर की जा रही हैं। उक्त नामान्तरणकरण के निर्णय के अलावा अन्य समस्त तथ्य काल्पनिक एवं मनगढंत रूप से अपनें स्वयं के निजी हित के तहत् अन्य दिगर व्यक्तियों को भुमियां विक्रय किए जानें के उद्धेश्य से ही मनगढंत व कुटरचित काल्पनिक तथ्य अंकित किए गए हैं जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होकर, अस्वीकार हैं। समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील अपिलाण्ट खारिज फरमायी जावे। यह कि अपील के बिन्दु संख्या 11 में वर्णित अंकित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 अपनें पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु होनें के पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात् से ही रेस्पोडेण्ट सं.02 के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर रेस्पोडेण्ट सं02 आदिनांक तक निरन्तर कास्त करता आ रहा हैं,जिसको करीबन 40 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। रेस्पोडेण्ट सं02 के पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हुई हैं एवं ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02-03 वर्ष तक की समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा पुर्णतः विधिवतरूप से निरन्तर सुनवायी की जाकर एवं जांच की जाकर, तथा परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी ली जाकर एवं सहमति लिए जानें के पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 143 को दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किया गया हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के इस कालम में अंकित समस्त तथ्य काल्पनिक एवं मनगढंत रूप से अपनें स्वयं के निजी हित के तहत् अन्य दिगर व्यक्तियों को भुमियां विक्रय किए जानें के उद्धेश्य से अंकित किए गए हैं जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होकर, अस्वीकार हैं। अपीलाण्ट की शादी होकर बालिग होने पर वर्ष 1992 से निरन्तर अपनें ससुराल ग्राम रामपुरिया तहसील सहाडा में अपनें पति रतनलालजी जाट के साथ आदिनांक तक अनवरत रूपसे निवासरत हैं, इससे स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के स्वामित्व, कब्जेकाश्त शुदा समस्त कृषि भुमियों पर आदिनांक तक कभी भी काश्त नहीं की गयी हैं एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा ही पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु होनें के पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात से ही रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के आपने स्वयं के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 आदिनांक तक निरन्तर कास्त करता आ रहा हैं, जिसको करीबन 40 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जाकाश्त करता आ रहा हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा

अचल सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का निरन्तर 12 वर्ष से अधिक समय तक काबिज होनें की स्थिती में वह अचल सम्पत्ति कब्जेधारी व्यक्ति की मानी जाएगी, ऐसे कब्जाधारी को बेदखल नहीं किया जाएगा एवं ऐसा कब्जाधारी व्यक्ति काबिज अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा, यह व्यवस्था दी गयी हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 अपनी पेत्रक भुमी पर 40 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जाकाश्त करता आ रहा हैं। अपील के इस बिन्दु 11 में अंकित समस्त तथ्य गलत,मनगढंत,काल्पनिक हैं, सभी तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं होकर, अस्वीकार हैं। समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील अपिलाण्ट खारिज फरमायी जावे। यह कि अपील के बिन्दु संख्या 12 में वर्णित अंकित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा अपनें पिताजी स्व0रतनलालजी की मृत्यु होनें के पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात् से ही रेस्पोडेण्ट सं02 के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर रेस्पोडेण्ट सं02 आदिनांक तक निरन्तर कास्त करता आ रहा हैं, जिसको करीबन 40 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आदिनांक तक किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति कभी भी विक्रय नहीं की हैं और अचल सम्पत्ति को विक्रय करनें का कोई ईरादा नहीं रखता हैं। अपीलाण्ट द्वारा बिन्दु सं0 12 में अकित किए गए समस्त तथ्य दुर्भावना से प्रेरित होकर, मनगढत एवं काल्पनिक हैं, एवं अपिलाण्ट को स्व0 रतनलालजी जाट की पेत्रक कृषि भुमियों का विरासत से नामान्तरणकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के पक्ष में मृत्यु दिनांक 24/08/1986 को हुई हैं एवं ग्राम पंचायत बामणियांखूर्द (खडबामणियां) द्वारा करीबन 02–03 वर्ष तक की समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा पुर्णतः विधिवतरूप से निरन्तर सुनवायी की जाकर एवं जांच की जाकर, तथा परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी ली जाकर एवं सहमति लिए जानें के पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 143 को दिनांक 07/06/1989 को निर्णित किया गया हैं। अपिलाण्ट को 1992 से ही सभी प्रकार के तथ्यों की जानकारी हैं, एवं अपिलाण्ट स्वयं द्वारा अन्य दिगर व्यक्तियों को भुमी विक्रय किए जानें की अभिमंशा के उद्धेश्य से ही मयाद के बाहर श्रीमान आप के न्यायालय में 40 वर्षो के बाद अपील प्रस्तुत की गयी हैं, अपिलाण्ट द्वारा 40 वर्षो के बाद श्रीमान आप के न्यायालय में अपील की जाकर, श्रीमान आप न्यायालय का किमती समय नष्ट किए जानें का दुषित प्रयास किया गया हें। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से व्यक्तिशः द्वेषतावश अपील में गलत, काल्पनिक तथ्य अंकित किए गए हैं, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होकर, अस्वीकार हैं। समस्त प्रकार के तथ्य खारिज फरमाए जावें तथा अपील अपिलाण्ट खारिज फरमायी जावे। यह कि अपील के बिन्दु संख्या 13 व 14 में वर्णित अंकित तथ्य श्रीमान आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार से संबंधित हैं,जो कानुनन हैं। यह कि अपील के बिन्दु संख्या 15 में वर्णित अंकित तथ्यों के बारे में श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना हैं कि श्रीमान आप न्यायालय में अन्य आधार वक्त बहस निवेदन करनें का तथ्य अंकित करके, अपिलाण्ट द्वारा माननीय श्रीमान आप न्यायालय के सम्मुख अपील प्रस्तुत करनें में अधूरे आधार प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय को जानबूझकर गलत, मनगढंत, काल्पनिक तथ्यों के आधार से गुमराह किए जानें दुषित प्रयास किया गया हें तथा माननीय श्रीमान आप न्यायालय का वक्त जाया करना स्पष्ट हैं।

अतः श्रीमान आप न्यायालय से सानुरोध प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट सव्यय खारिज फरमायी जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 07.06.1989 की अपील वर्ष 2024 में प्रस्तुत की गयी जो करीब 35 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि 35 वर्ष मे वादग्रस्त भुमि के नामान्तकरण के सम्बध में अपीलांट को कोई जानकारी नही हुई हो। जबकि अपीलांट शिक्षित है। तथा कई प्रकार की राजकीय योजनाये फसल बीमा/फसल खरीद/कृषि यंत्र/फसल समर्थन मुल्य/किसान सम्मान निधि आदि कई प्रकार की योजनाये चल रही है। जिनका अपीलांट द्वारा कोई लाभ नही लेना चाहा हो। जिससे यह नही कहा जा सकता है। कि उक्त नामान्तकरण के सम्बंध में अपीलांट को इस निर्णित नामान्तकरण कि जानकारी नही रही हो। तथा करीब 35 वर्ष मे वादग्रस्त भुमि के सम्बध में इस अपील के मयाद के सम्बंध में कोई ठोस कारण नही बताया गया है। जिससे प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मयाद अधिनियम का निरस्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट मयाद बहार होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा